



## लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : ०५/आआ ३५७०/२०

दिनांक: 16/10/2020

### (विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र)

ग्राम-मडियाव, तहसील-बखशी का तालाब, जिला-लखनऊ पर मेसर्स ओरो कान्सट्रक्शन द्वारा विकसित टाउनशिप "ओरो सिटी विस्तार" के विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदक मे० ओरो कान्सट्रक्शन्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार, आर्कीटेक्ट-श्री संजय गुप्ता (CA/89/12382) द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री अतुल शर्मा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के अनुमोदन दिनांक 28.08.2020 के अनुसार ओरो सिटी विस्तार का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

#### प्रतिबन्ध :

1. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त योजना को स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करना होगा। हस्तान्तरण तक रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/आवेदक की होगी।
2. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....  
कार्यालय मुहर .....